संख्या- 3/2016/139/पचासी-16-16(परती)2008

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2016

विषय:- उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के ऊसर सुधार कार्यक्रम हेतु 03 नये जनपदों यथा-फैजाबाद, वाराणसी एवं शाहजहाँपुर तथा बीहड पाइलेट कार्यक्रम अन्तर्गत 10 नये जनपदों यथा- इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ, जौनपुर एवं सुल्तानपुर को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-87/बीहड/एसएम(पी)/87/2010-11/417, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 एवं पत्र संख्या-87/बीहड/2010-11/541 दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा प्रस्तावित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना- तृतीय के अन्तर्गत ऊसर सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तीन नये जनपद यथा- फैजाबाद, वाराणसी एवं शाहजहाँपुर को पूर्व स्वीकृत 29 जनपदों में सम्मिलित करते हुए ऊसर सुधार कार्यक्रम को संचालित किये जाने एवं उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय के अन्तर्गत संचालित बीहड पाइलेट परियोजना को प्रदेश के दस अतिरिक्त जनपदों यथा- इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ, जौनपुर एवं सुल्तानपुर में चलाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है। इन 10 नये जनपदों मे परियोजना का क्रियान्वयन मा0 मंत्रि परिषद के निर्णय दिनांक 26 फरवरी, 2009में उल्लिखित शर्तो के अधीन उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा कराया जायेगा।

2- अत अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।